FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ——————**उपखण्ड अधिकारी**——————— मुकाम ———————**सूरजगढ**——————————

————————रामनिवास वगै0 —————————बनाम ————— – विजय सिहं वगै0——————————

किस्म मुकदमात—————————प्रा0 पत्र 212——————————नं———89———सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
12.07.22	आज यह प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से श्री रामेश्वर दयाल वकील उपस्थित हुये। मिसल आयन्दा अप्रार्थीगण की तलबी व जवाब अप्रार्थी संख्या 1 का पेश करने हेतु दिनांक 15.07.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ	
15.07.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित । अप्रार्थी सं0 1 के वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात पेश किये जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दी गई वकील पक्षकारान नें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस करने का निवेदन किया गया गया वकील पक्षकारान की बहस सुनि गई । मिसल आयन्दा उचित आदेश हेतु दिनांक 19.07.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ	
19.07.22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश दिया जाना है बहस पूर्व में सुनि गई प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के वकील द्वारा पेश कानून व दस्तावेजात का सहसम्मान अध्ययन किये जाने व बहस उपरान्त न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतित नही होता है व सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी अप्रार्थी के हक में जाते है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ	